न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 41/2007

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कोलीया पुत्र सवाजी,जाति चौधरी,निवासी सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर		1.लिखमा पुत्र डायाजी, 2.मांगीलाल पुत्र डायाजी, 3.वेलाराम पुत्र डायाजी 4.श्रीमति पूरी बेवा डायाजी, जातियान् चौधरी,निवासीगण सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार जालोर दिनांक 7.1.2002
(धारा 53(2)बंटवाडा पत्रावली)

उपस्थिति :–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.7.2019

1. यह अपील माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के प्रकरण सं. :निगरानी/टी.ए./5172/2008/जालोर, लखमा वगैराह बनाम कोलिया वगैराह में निर्णय दिनांक 16.5.2017 के द्वारा रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को सर्वप्रथम निर्णित करते हुए अपील सं. 41/2007 को नये सिरे से निर्णित करें। इस पर अपील पुनः दिनांक 13.6. 2017 को दर्ज की गई।अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सरदारगढ के हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 667 रकबा 2.80 हेक्टर,कुल रकबा 5.95 हेक्टर में अपीलांट कोलीया का 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के नाम 1/4हिस्सा हक खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज है जो अविवादित थी ,दिनांक 7.1.2002 को ग्राम सामतीपुरा में प्रशासन गावों के संग राजस्व अभियान में उक्त बंटवाडा

किया गया जिसमें अपीलांट को 3/4 हिस्से में 4.47 हेक्टर भूमि मिलनी चाहिये थी जबकि उसे 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो 1.50 हेक्टर कम दी गई हैं।इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स को 1/4 हिस्से के अनुसार 1.49 हेक्टर भूमि दी जानी चाहिये थी जबकि उसे 2.98 हेक्टर भूमि दी गई है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को 1.49 हेक्टर भूमि अधिक दी गई हैं जबकि दोनो खसरा नम्बरान् की किस्म बारानी है व मौके पर भूमि एक जैसी है,मौके पर अपीलांट का कब्जा कदीम से खसरा नम्बर666 के सम्पूर्ण रकबा 3.15 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 667 के पश्चिमी हिस्से पर 1.32 हेक्टर पर है तथा रेस्पोडेन्ट का कब्जा खसरा नम्बर 667 के पूर्वी भाग पर 1.49 हेक्टर पर कदीम से है,इस प्रकार मौके पर काबिज भूमि के विपरीत दोनो पक्षों को बंटवाडे में भूमि दी गई है। अपीलांट ने दिनांक 26.11.2007 को अपने नाम दर्ज भूमि की पैमायश करवाकर पत्थरगढी करवाने के लिए तहसीलदार जालोर को आवेदन पेश किया, तब जमाबंदी की नकल लगाई तथा अपीलांट ने अपने वकील से पूछा कि अपीलांट के खाते में 3/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट के 1/4 हिस्से में कितनी जमीन आती है तब जानकारी हुई कि अपीलांट के खाते में 1.49 हेक्टर भूमि कम दर्ज हुई है व कब्जा के अनुसार भी बंटवाडा नहीं हुआ है। दिनांक 26.11.2007 को प्रथमबार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्यादर पेश है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.1.2002को निरस्त कर तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश दिनांक 7.1.2002की प्रति आदि नकले पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि उन्हें नायब तहसीलदार जालोर द्वारा धारा 53(2) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955के बंटवाडा आदेश दिनांक 7.1.2002 की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता से हुई कि अपीलांट ने दिनांक 26.11.2007 को अपने नाम दर्ज भूमि की पैमायश करवाकर पत्थरगढी करवाने के लिए तहसीलदार जालोर को पेश आवेदन के साथ जमाबंदी की नकल लगाई ,तब अपीलांट ने अधिवक्ता ने पूछा कि उसके खाते में 3/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट के खाते में 1/4 हिस्से में से कितनी जमीन आती है तब अधिवक्ता के द्वारा जानकारी हुई कि अपीलांट के खाते में 1.49 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गई है। अपीलांट अनपढ होने के कारण व

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कब्जे में दखल नहीं करने के कारण पूर्व में जानकारी नही हो सकी है। इस प्रकार जानकारी की तिथि दिनांक 26.11.2007 से अपील दिनांक 29.11.2007 को अन्दर म्याद पेश होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार करावे। अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण ने कोई जवाब पेश नही किया गया हैं। अपीलांट–कोलीया अनपढ व्यक्ति है तथा अपीलांट ने अपील देरी से प्रस्तुत करनेका युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत किया है। अतःअपीलांट का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है व अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा सरदारगढ के हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 667 रकबा 2.80 हेक्टर,कुल रकबा 5.95 हेक्टर में से अपीलांट–कोलीया का 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के नाम 1/4हिस्सा हक खातेदारी में में दर्ज हैं जिसमें अपीलांट को 3/4 हिस्से में 4.47 हेक्टर भूमि मिलनी चाहिये थी जबकि उसे 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो 1.50 हेक्टर कम दी गई हैं,इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स को 1/4 हिस्से के अनुसार 1.49 हेक्टर भूमि दी जानी चाहिये थी जबकि उसे 2.98 हेक्टर भूमि दी गई है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को 1.49 हेक्टर भूमि अधिक दी गई हैं जबकि दोनो खसरा नम्बरान् की किस्म बारानी है व मौके पर भूमि एक जैसी है, इस प्रकार मौके पर काबिज भूमि के विपरीत दोनो पक्षों को बंटवाडे में भूमि दी गई है ,अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.1.2002 को निरस्त करावे ।इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण सं.1से 4 के वकील ने बहस में बताया कि आपसी सहमति से व दो गवाहो के रूबरू धारा 53(2) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 केम्प सामतीपुरा में दिनांक 7.1.2002 को बंटवाडा किया गया है जो सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा सरदारगढ के हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 667 रकबा 2.80 हेक्टर,कुल रकबा 5.95 हेक्टर में से अपीलांट कोलीया का 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के नाम 1/4हिस्सा हक खातेदारी में दर्ज हैं,भूमि की किस्म बारानी है व सभी भूमि एक जैसी है,जिसमें अपीलांट को 3/4 हिस्से में बंटवाडा में 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो कम दी गई है, जबकि रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 को

बंटवाडा में 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो अधिक दी गई है जो प्रथम दृष्टया विधि अनुकूल नही है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 7.1.2002 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:30:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: